न्यायालय सेशन न्यायाधीश, पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी:- राजेन्द्र कुमार, आरजेएस,
जिला न्यायाधीश संवर्ग

दांडिक विविध जमानत प्रकरण संख्या :- 458/2026

नरेश उर्फ निखिल उर्फ निक्की पुत्र स्व. सुरेन्द्र कुमार, उम्र 28 वर्ष, निवासी- 510-ए, सोसायटी नगर, पाली पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र, पाली तहसील व जिला पाली (राज.)।

...प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

राजस्थान राज्य **...अप्रार्थी**

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा- 483 बी.एन.एस.एस.
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **31/2026 पी.एस. औद्योगिक क्षेत्र, पाली।**
जुर्म अंतर्गत धारा 75(2), 76(2), 78, 79, 308(2) भारतीय न्याय संहिता
गिरफ्तारी दिनांक **24-05-2026**

उपस्थित:-
1. श्री गुलाबराम मीणा, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी/अभियुक्त।
2. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, लोक अभियोजक वास्ते राज्य।

आदेश **दिनांकः- 04.06.2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्त ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। नकल लोक अभियोजक को दिलवाई गयी। केस डायरी का अवलोकन किया और बहस जमानत सुनी।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है परिवादीया कुसुम ने दिनांक 27-01-2026 को पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष उपस्थित होकर एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि करीब 8 माह पूर्व उसके घर वालों द्वारा उसकी सगाई की बात नरेश से चल रही थी और वह व नरेश फोन पर बात करते रहते थे। नरेश ने उसे बहला फुसलाकर वीडियों कॉल कर उसके अश्लील फोटो के स्क्रीनशॉट ले लिए तथा उसे मिलने के लिए ब्लेकमेल करने लगा। तब उसने उसे अश्लील फोटो वीडियो डिलीट करने का बोला तो उसने एक बार मिलने पर वीडियो और फोटो डिलीट करने का वादा किया, तब वह किसी बहाने से अपनी बहन पूजा के साथ पाली नरेश के घर गये, तब उसने उससे अकेले में बात करने का कहकर उपर वाले रूम में ले जाकर उसके साथ खोटा

काम करने का कहा व उसके बाद फोटो वीडियो डिलीट करने का कहा, ये कहते हुए वह उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा व उसके चिल्लाने पर उसने उसका गला दबाया और उपर बैठ गया, जिससे उसके कपड़े अस्त-व्यस्त हो गए। तब उसकी बहन पूजा व नरेश के घर वालों ने आकर उसे छुड़ाया, तब वह अपनी बहन के साथ वापस धोलेरिया शासन आ गये। घर आकर उसने अपने भाई प्रवीण व घर वालों को उक्त बात बताई, उसी रोज नरेश ने उसे अलग-अलग नंबरों से फोन करके फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकियां दी और उसके नाम से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी kusum 57556) बनाकर उसमें उसके व नरेश के साथ खींचे गये फोटो को अपलोड कर उक्त आईडी से उनके रिश्तेदारों व समाज के व्यक्तियों को भेजकर उनके परिवार की बदनामी की। उक्त घटना की रिपोर्ट दिनाक 12-09-2025 को पुलिस थाना जैतपुर में दी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, तत्पश्चात पुन दिनांक 15-10-2025 को पुलिस थाना जैतपुर में रिपोर्ट दी, उसके पश्चात् दिनांक 21-10-2025 को नरेश के परिवार से 3-4 औरतें, नरेश की माता, मासी व बहन उसके घर पर आये और रिपोर्ट वापस लेने का कहा व आश्वासन दिया कि आज के बाद फोटोज व वीडियोज कहीं अपलोड नहीं करेंगे और नरेश के फोन से फोटोज, वीडियोज व इंस्टाग्राम डिलीट कर देगें और उनकी ओर से पुनः कोई गलती नहीं होगी। उसके बाद दिनांक 24-01-2026 को नरेश ने पुनः एक इंस्टाग्राम आईडी kusum&goyal17773 बनाई, जिस पर उस पर दबाव बनाकर खींची गई फोटो व वीडियो अपलोड कर ली। लगभग एक माह पूर्व दुकान पर जाते समय नरेश तीन लड़कों के साथ आया और उसे धमकी दी कि यदि रिपोर्ट वापस नहीं ली, तो उसकी फोटो व वीडयों सोशल मीडिया पर अपलोड करके उसे बदनाम कर देगा, उसके भाई प्रवीण को भी जान से खत्म कर देंगे.....आदि। रिपोर्ट पर पुलिस थाना **औद्योगिक क्षेत्र, पाली** में प्रथम सूचना संख्या **31/2026** दर्ज की जाकर अनुसंधानाधीन है। दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया जिसका जमानत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्वीकार किये जाने से यह जमानत आवेदन पेश किया गया है।

3. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रार्थी निर्दोष हैं उसे इस प्रकरण में झूठा लिप्त किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट पढने से स्पष्ट साबित होता है कि परिवादीया ने प्रार्थी को हैरान परेशान करने एवं खर्चे से जैरबार कर बदनाम करने की नियत से उक्त रिपोर्ट दर्ज करवाई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में परिवादीया स्वयं द्वारा प्रार्थी के घर आने का हवाला दिया गया है। प्रार्थी की ओर से उक्त प्रकरण में परिवादी पक्ष के खिलाफ रिपोर्ट पेश की गई है तथा क्रॉस में मुकदमा दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने परिवादीया की लज्जा भंग नहीं की है और न ही परिवादीया की प्रार्थी ने कोई फर्जी इंस्ट्राग्राम आईडी बनाई है। प्रार्थी से किसी प्रकार की बरामदगी नहीं हुई है न ही बरामदगी बकाया रही है। प्रार्थी के खिलाफ पूर्व की कोई दोषसिद्धी रेकर्ड

पर नहीं है। प्रार्थी दिनांक 24-05-2026 से अभिरक्षा में है। अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध परिवादीया के साथ लैंगिक उत्पीडन करने, उसे विवस्त्र करने के आशय से उसपर हमला करने तथा सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर पीडिता की लज्जा का अनादर करने के आशय उसके फोटो व वीडियो वारयल करने के गंभीर अपराध का आरोप है। अतः जमानत आवेदन अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त एस बी क्रि. मिस. बेल एप्लीकेशन नं. 13513/2020 जुगल बनाम स्टेट ऑफ राज. में दिये गये निर्देशानुसार अभियोजन द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त **नरेश उर्फ निखिल उर्फ निक्की** का निम्न आपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया है:-

Sr. No.	*FIR No. & P.S.*	*Case No.*	*Section*	*Date*	*Status*	*Date of Arrest*	*Release on any previous occasion (If any)*
1.	*212/24.10.2020* पीएस औद्यो. क्षेत्र	-	*435* भा.द.स.	-	जैर ट्रायल	-	-
2.	*82/2021* पीएस औद्यो. क्षेत्र	-	*458, 376/511, 323, 324, 307, 394, 354* बी भा.द.स.	-	जैर ट्रायल	-	-
3.	*58/2022* पीएस औद्यो. क्षेत्र	-	*451, 323, 341* भा.द.स.	-	जैर ट्रायल	-	-

6. उभय पक्षीय तर्कों पर मनन किया गया एवं केस डायरी का अवलोकन किया। केस डायरी के अवलोकन से प्रार्थी के विरुद्ध पीडिता 'के' को उसके अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसका लैंगिक उत्पीडन करते हुए उसे विवस्त्र/निर्वस्त्र करने के आशय से उस पर हमला करने तथा उससे व्यक्तिगत अन्योन्यक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उसका बारंबार पीछा करने, सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर उसकी लज्जा का अनादर करने के आशय से उसके अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने तथा उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने व मुकदमा वापस लेने हेतु बेईमानी से उत्प्रेरित पर उद्यापित करने के संबंध में अपराध अंतर्गत धारा 75(2), 76(2), 78, 79, 308(2) भारतीय न्याय संहिता का आरोप अनुसंधान में प्रमाणित पाया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में कुल 3 प्रकरण दर्ज होकर लंबित होना बताया है परंतु कोई दोषसिद्धी नहीं बताई है। हस्तगत प्रकरण में पिडिता के धारा 180 बीएनएसएस व धारा 183 बीएनएसएस के अंतर्गत बयान लेखबद्ध किए जा चुके हैं। प्रार्थी/अभियुक्त की हद तक अनुसंधान पूर्ण होकर प्रार्थी/अभियुक्त से किसी प्रकार की बरामदगी शेष होना, नहीं बताया है। प्रार्थी उक्त प्रकरण में 10 दिन से अधिक अर्थात दिनांक 24.05.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध बीएनएस की

धारा 75(2), 76 अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय मामला है, जिसमें से कम से कम 3 वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा, प्रावधानित है तो इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत Criminal Appeal No of 2026 Narayan Vs The state of Madhya Pradesh Date 22/04/2026 में यह मत प्रतिपादित किया है-

5. *Having considered the provisions as contained in Section 480(3) BNSS, it is clear that if a person accused or suspected of commission of an offence punishable with imprisonment which may extend to seven years or more or of an offence under Chapter VI, Chapter VII or Chapter XVII of the BNSS or abetment of, or conspiracy or attempt to commit, any such offence, is released on bail, in that situation, the Court may be in a position to impose conditions as specified therein. In the facts of the present case, since the punishment for subsequent offence is less than five years, the conditions as stipulated in Section 480(3) BNSS are not imposable. Therefore, at present, cancellation of bail on account of involvement in the subsequent offence solely based on Section 34(2) of the M.P. Excise Act, 1915, is not justified.*

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में यह विधिक स्थित उभर कर आती है कि धारा 480(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कठोर शर्तें एवं उनके उल्लंघन के परिणाम मुख्यतः उन अपराधों के संदर्भ में विचारणीय हैं जो सात वर्ष या उससे अधिक दंडनीय हों अथवा संहिता के निर्दिष्ट अध्यायों के अंतर्गत आते हों तथा किसी पश्चातवर्ती ऐसे अपराध में संलिप्तता, जो अपेक्षाकृत कम दंडनीय हो, मात्र उसी आधार पर जमानत निरस्तीकरण का पर्याप्त आधार नहीं हो सकती। तथापि, हस्तगत प्रकरण के विशेष तथ्यों एवं आरोपों की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए यह आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी/अभियुक्त पीड़िता से किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संपर्क स्थापित नहीं करेगा, उसे तंग-परेशान, भयभीत अथवा धमकित नहीं करेगा, उसके संबंध में कोई आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित नहीं करेगा तथा किसी भी गवाह अथवा साक्ष्य को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा तो मेरे विनम्र मत में इस स्तर पर, मामले के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. क्रिमिनल मिस. बेल संख्या 11084/2024 जरिए आदेश दिनांक 19/09/2024 से अभियुक्त नंदसिंह उर्फ जयसिंह उर्फ बन्ना के मामले में निम्न सिद्धांत प्रतिपादित कर अधीनस्थ न्यायालयों के लिए इन शर्तों सहित जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया है:-

> "Consequently, the present bail application is allowed and it is directed that the accused-petitioner Nand Singh @ Jaysingh @ Banna S/o Shri Shivraj Singh, arrested in connection with the FIR No.76/2022, registered

at Police Station Transport Nagar, District Pali shall be released on bail provided he furnishes a personal bond and two surety bonds of sufficient amount to the satisfaction of the learned trial court with the stipulation to appear before that Court on all dates of hearing and as and when called upon to do so. **This order is subject to the condition that accused, within 7 days of his release, and sureties on the day of furnishing bail, will also furnish details of their all bank accounts, with bank and branch name, in shape of an affidavit, and submit legible copy of their Aadhar cards as well as copy of front page of Bank pass book, for smooth recovery of penalty amount, if there arise a need for recovery of penalty under Section 446 Cr.P.C in future.''**

आदेश

अतः प्रार्थी/अभियुक्त **नरेश उर्फ निखिल उर्फ निक्की** पुत्र स्व. सुरेन्द्र कुमार, उम्र 28 वर्ष, निवासी- 510-ए, सोसायटी नगर, पाली पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र, पाली तहसील व जिला पाली (राज.) की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. स्वीकार किया जाकर, यह आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी **50,000/-** रूपये का स्वयं का मुचलका एवं **25,000 25,000/-** रूपये की दो जमानते संबंधित न्यायालय की संतुष्टि अनुसार, निम्नांकित शर्तों सहित प्रस्तुत कर तस्दीक कर देः-

(1) कि प्रार्थी विचारण के दौरान प्रत्येक तारीख पेशी पर हाजिर होता रहेगा तथा जमानती जमानत पेश करने के समय एवं अभियुक्त को जमानत पर रिहा होने के पश्चात 7 दिवस के भीतर अपने सभी बैंक खातों का विवरण मय बैंक पासबुक के प्रथम पेज की स्पष्ट पठनीय फोटोप्रति व आधार कार्ड की प्रति शपथ पत्र के प्रारूप में सूचना अंकित करते हुए प्रस्तुत करेगा, ताकि धारा 446 दंप्रसं. (491 बीएनएसएस) के तहत भविष्य में पेनल्टी राशि की वसूली की आवश्यकता हो तो पेनल्टी राशि आसानी से वसूल की जा सकें।

(2) कि प्रार्थी/अभियुक्त पीड़िता का किसी भी प्रकार से पीछा नहीं करेगा तथा उसके निवास, कार्यस्थल, शिक्षण संस्थान अथवा उसके नियमित आवागमन के स्थानों के आसपास अनावश्यक रूप से उपस्थित नहीं होगा।

(3) कि प्रार्थी/अभियुक्त पीड़िता अथवा उसके परिवारजनों, मित्रों एवं गवाहों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार की धमकी, प्रलोभन, दबाव, उत्पीड़न अथवा भयभीत करने का प्रयास नहीं करेगा।

(4) कि प्रार्थी/अभियुक्त किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेबसाइट अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पीड़िता से संबंधित कोई फोटो, वीडियो, संदेश, टिप्पणी अथवा अन्य सामग्री प्रकाशित, प्रसारित, साझा अथवा वायरल नहीं करेगा और न ही ऐसा किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से करवाएगा।

तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(राजेन्द्र कुमार)
सेशन न्यायाधीश, पाली

यह आदेश आज दिनांक **04-06-2026** को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
सेशन न्यायाधीश, पाली।

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.06.08 18:21:10 IST